राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2019 / 32430-438 दिनांकः 20/06/19

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर परिषद् / पालिका,
श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर,
करौली, नाथद्वारा, नोखा एवं चौमूं

विषयः—नगर निकाय द्वारा संचालित एवं संधारित पेयजल योजनाओं के कार्यों में संबंधित नगर निकाय के अभियंताओं की भागीदारी बाबत्।

संदर्भः—राजस्थान सरकार मंत्रीमण्डल की आज्ञा, 204 / 2012 दिनांक 04.10.2012

उपरोक्त संदर्भित मंत्रीमण्डल की आज्ञा के बिन्दु सं. 5(ग) में वर्णित है कि वर्टीकल डेवोल्यूशन के अंतर्गत ''शहरी निकायों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की कैडर स्ट्रेन्थ जन स्वा. अभि. विभाग में ही रहेगी परंतु साथ ही आवश्यकतानुसार इन पदों का सृजन संबंधित स्थानीय निकाय / स्वायत्त शासन विभाग में भी किया जायेगा।'' वर्टीकल डेवोल्यूशन के अनुसार नगर निकायों में जलापूर्ति कार्य हेतु Secondment Basis पर जन स्वा. अभि. विभाग से सहायक अभियंता मय स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर पिछले छः वर्षो से कार्यरत है तथा जलापूर्ति कार्यों हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्वों का निष्पादन आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार संबंधित निकाय के अतिरिक्त मुख्य अभियंता / अधीक्षण / अधिशाषी अभियंता द्वारा तकनीकी दायित्वों का निष्पादन किया जा रहा है। यह देखने में आया है कि निकायों में Secondment Basis पर पीएचईडी से प्रतिनियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों का जन. स्वा. अभि. विभाग द्वारा स्थानान्तरण किये जाने की स्थिति में उनके प्रतिस्थापन बिना ही नगरीय निकाय के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिया जाता है, जिससे वह पद रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी Secondment Basis पर कार्यरत कनिष्ठ / सहायक अभियंता को तब तक कार्य मुक्त न करें जब तक उनका प्रतिस्थापन सुनिश्चित न हो जाये। इसके बावजूद भी किसी नगरीय निकाय के जलापूर्ति उपखण्ड से संबंधित कनिष्ठ / सहायक अभियंता का पद रिक्त है तो ग्रीष्म ऋतु में जलापूर्ति को व्यवस्थित व सुचारू बनाये रखने के लिए निकाय में पदस्थापित राजस्थान मुनिसिपल सेवा के कनिष्ठ / सहायक अभियंता को अपने कार्य के साथ–साथ जलापूर्ति का अतिरिक्त कार्य प्रभार तुरन्त सौंपा जाये।

पूर्व में भी विभागीय बैठकों / वीडियो कॉन्फ्रेस में क्षेत्रीय उपनिदेशकगण, आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी द्वारा निकाय के जलापूर्ति उपखण्ड में पदस्थापित कनिष्ठ / सहायक अभियंता की कमी के बारे में बताया जाता रहा है। अतः उपरोक्त मंत्रीमण्डल की आज्ञा के अनुपालना में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके नगरीय निकाय में नियुक्त कनिष्ठ / सहायक अभियंता की जलापूर्ति कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जाये, ताकि इनकी स्वयं की क्षमता संवर्द्धन (Capacity Building) एवं निकाय की संस्थागत क्षमता (Institutional Capacity) में भी वृद्धि हो सके।

वर्तमान में जन स्वा. अभि. विभाग से शहरी निकायों में Secondment Basis/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियंताओं की कमी के चलते संबंधित नगरीय निकाय की पेयजल व्यवस्था में अगर किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

इसे अतिआवश्यक समझें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

P.T.O.

(22)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2019 / 32439-459 दिनांकः 20/06/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं सयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 2–सिविल लाईन्स, जल भवन, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि नगरीय निकाय क्रमशः श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, नोखा एवं चौमूं में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से Secondment Basis/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अभियंताओं का स्थानान्तरण उनके समकक्ष प्रतिस्थापन के बिना ना करें।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / भरतपुर / अजमेर।
7. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(सुनील भाटी)
अतिरिक्त निदेशक